

1(iv) आस्ति रजिस्टर
एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन
(रिपोर्टिंग वर्ष 2023-24 के अंत तक की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़ में)

	रिपोर्टिंग वर्ष 2023-24 के आरंभ में आस्तियां	वर्ष 2023-24 के दौरान अधिग्रहीत आस्तियां	रिपोर्टिंग वर्ष 2023-24 के अंत में आस्तियों का संचित योग
वास्तविक आस्तियां			
भूमि	385622.18	2127.27	387749.45
भवन			
कार्यालय	44775.50	3573.94	48349.44
रिहायशी	20635.53	291.80	20927.33
सड़कें	298621.93	47439.99	346061.92
पुल	12581.72	269.30	12851.02
सिंचाई परियोजनाएं	1351.49	4.75	1356.24
विद्युत परियोजनाएं	634.03	34.21	668.24
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	4187.36	1706.97	5894.33
मशीनरी और उपस्कर	41583.88	3828.87	45412.75
कार्यालय उपस्कर	5148.78	518.67	5667.45
वाहन	2883.83	134.40	3018.23
कुल	818026.23	59930.17	877956.40
वित्तीय आस्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	625827.01	83990.18	709817.19
बोनस शेयर	365.83	8539.55	8905.38
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	5119.84	-8.38	5111.46
विदेशी सरकारों को ऋण	16528.42	-1326.12	15202.30
कंपनियों को ऋण	65332.40	466.06	65798.46
अन्य को ऋण	135278.32	17178.21	152456.53
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	781508.95	242521.63	1024030.58
अन्य	186318.25	-48.51	186269.74
कुल	1816279.02	351312.62	2167591.64
कुल जोड़	2634305.25	411242.79	3045548.04

टिप्पणियां:

- ₹2 लाख के न्यूनतम मूल्य से अधिक की आस्तियों को दर्ज किया गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की आस्तियां शामिल नहीं हैं।
- मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों के मूल्यांकन और आंकड़ों संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्यायनिर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष (₹26,32,442.39 करोड़) और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष (₹26,34,305.25 करोड़) के बीच अंतर मुख्य रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (₹2,073.64 करोड़ का अंतर), के कारण है क्योंकि आस्तियों का मूल्य वित्त लेखा से लिया गया है, और विदेश मंत्रालय (₹15.59 करोड़ का अंतर), संबंधी अंतर प्रतिवर्ष होने वाले मिशन/पदों की संख्या के आंकड़ों में भिन्नता के कारण है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (₹123.40 करोड़), औषध विभाग (₹67.63 करोड़) आदि जैसे कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत रिपोर्टिंग/मिलान के कारण सुधार किए हैं।